राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1134/2024

ओम प्रकाश सोलंकी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय एमएसजे कॉलेज, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य के पद पर एमएसजे कॉलेज, भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से बीबीरानी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थान केवल बीबीरानी अंकित किया गया है, जिसमें किसी भी कॉलेज का नाम अंकित नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति अगस्त, 2025 में होनी है। ऐसे में अपीलार्थी की सेवानिवृति में दो वर्ष से कम समय शेष रहा है। फिर भी अपीलार्थी स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की पत्नी व पुत्री बीमारियों से ग्रसित है। अपीलार्थी की पुत्री के कैंसर है एवं पत्नी को रीड़ की हड्डी की परेशानी है। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी जिस कॉलेज में वर्तमान में पदस्थापित है वहां 17 पद सहायक आचार्य के हैं, जिसमें से केवल 6 पद ही भरे हुए हैं। ऐसे में वर्तमान स्थान से अपीलार्थी को स्थानान्तरित किये जाने पर सहायक आचार्यों की कमी होगी।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. आलोच्य आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी अंकित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किस महाविद्यालय में किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में 17 माह का समय शेष है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि उसकी सेवानिवृति में कम समय शेष रहा हो। जहां तक अपीलार्थी की पत्नी व पुत्री की बीमारियों का प्रश्न है, तो प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। केवल मात्र पारिवारिक कठिनाईयों के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने के आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 1999 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी 25 वर्ष से वर्तमान पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को समुचित समय पर वर्तमान पदस्थापित रखने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना हम नहीं पाते हैं। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना से प्रेरित हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)